

# भारत में 1773 और 1784 ब्रिटिश अधिनियमों का अध्ययन

Dr. Anil Kumar\*

B.P.S.M.V., Regional Center, Lula Ahir Teaching Assistant, History

**शोध सार –** ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत पर शासन 1773 में शुरू किया है। भारत के संविधान की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही रखी गयी। इसके अंतर्गत बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के लिए एक परिषद् की स्थापना की गयी। परिषद् में चार सदस्य और एक गवर्नर जनरल था। भारत का सांविधानिक विकास वास्तव में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से आरंभ होता है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत और अन्य पूर्वी देशों के व्यापार से लाभ उठाना था पर भारत की राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर कम्पनी के कर्मचारियों ने राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1707 ई में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की एकता छिन्न-भिन्न हो गई और इसका लाभ कम्पनी ने पूर्ण रूप से उठाया अंग्रेजों ने भारत में 1947 ई तक राज किया और उनके शासन काल में समय-समय पर भारतीय शासन-व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किये गए। इस शोध-पत्र में भारत में 1773 और 1784 ब्रिटिश अधिनियमों का अध्ययन किया गया है।

**मुख्य शब्द –** ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी, संविधान, शासन-व्यवस्था, रेगुलेटिंग एक्ट और ब्रिटिश अधिनियम।

-----X-----

भारतीय प्रशासनिक ढांचा प्रधानतया ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढांचागत और कार्यप्रणालीगत पक्षों, जैसे- सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएँ, भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखापरीक्षा, केंद्रीय कर्षों की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि की जगह ब्रिटिश शासन में निहित हैं। भारत में ब्रिटिश शासन काल को दो चरणों में विभक्त कर सकते हैं - वर्ष 1858 तक कंपनी का शासन और वर्ष 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन भारत।

भारत में संविधान का विकास 1857 तक ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन और उसके पश्चात ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ ईस्ट इंडिया कम्पनी का संचालन दो समितियों द्वारा किया जाता था, “स्वामी मण्डल और संचालक मण्डल” -

## स्वामी मण्डल (Court of Proprietors)-

कम्पनी के सभी साझीदार इसके सदस्य होते थे, जिन्हें सभी नियम कानून और अध्यादेश बनाने का अधिकार था, और इन्हें

ये भी अधिकार था कि यदि कोई नियम संचालक मण्डल बना रहा है तो ये उसे रद्द भी कर सकते थे।

## संचालक मण्डल (Court of Directors)-

संचालक मण्डल में 24 सदस्य होते थे जो स्वामी मण्डल से ही होते थे और स्वामी मण्डल द्वारा ही चुने भी जाते थे, संचालक मण्डल का कार्य स्वामी मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करवाना था भारतीय संविधान का ढांचा विकसित होने में मूल रूप से 1857 ई0 के बाद ब्रिटिश क्राउन द्वारा किये गये संविधानिक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है। यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ। संविधान सभा के निर्माण से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कई अधिनियम बनाये, जो इस प्रकार हैं

## रेग्युलेटिंग एक्ट या अधिनियम 1773

बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा पिफलिप प्रफांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल पांच वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। रेग्युलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कम्पनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कम्पनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढाँचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ई. में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ई. में इसे लागू किया गया। एक्ट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं

- मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेंसियों को बंगाल प्रेसीडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसीडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे
- सपरिषद गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किन्तु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व निदेशक बोर्ड की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था।
- इस अधिनियम द्वारा बंगाल (कलकत्ता) में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धाखमक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कम्पनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवायी कर सकता था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।

- संचालक मंडल का कार्यकाल चार वर्ष कर दिया गया तथा अब 500 पौंड के स्थान पर 1000 पौंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप व नियंत्रण प्रारंभ हुआ तथा कम्पनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
- इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसीडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार (फिलिप, फ्रांसिस, क्लैवरिंग, मानसन व बरवैल) सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे।
- कंपनी के साथ शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया।
- कलकत्ता में एक उच्चतम यायालय की स्थापना 1774 में की गई। इसे सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारता प्राप्त थी।
- कंपनी द्वारा शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया।
- सरकारी अधिकारियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी रूप में उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल को अपनी कौंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। उसे अपनी कौंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं था, इससे उसके समक्ष अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आईं। रेग्युलेटिंग एक्ट के पश्चात् 1781 ई. के इंडिया एक्ट (संशोधनात्मक अधिनियम) द्वारा एक अनुपूरक कानून बनाया गया, जिससे रेग्युलेटिंग एक्ट की कुछ खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट किया गया तथा उसे कलकत्ता के सभी निवासियों (अंग्रेज तथा भारतीय) पर अधिकार दिया गया और यह भी आदेश दिया गया कि प्रतिवादी का निजी कानून लागू हो।

## पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784

1773 ई. के रेग्युलेंटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिये अगले एक दशक के दौरान जाँच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाये गए इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 ई. में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गयी जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व सम्बन्धी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात् द्वैध शासन की स्थापना की गयी। गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद् के निर्णय को न मानने की शक्ति प्रदान की गयी। दय मद्रास व बम्बई प्रेसीडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सेना, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों की सेना, का सेनापति बना दिया गया।

1784 ई. के एक्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन का आधार तैयार किया। दय सेना, पुलिस, नागरिक सेवा और न्यायालय वे प्रमुख एजेंसियाँ थीं जिनके माध्यम से गवर्नर जनरल शक्तियों का प्रयोग और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता था। दय कंपनी की सेना में एक बड़ा भाग भारतीय सैनिकों का भी था जिसका आकार ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के साथ बढ़ता गया और एक समय इन सिपाहियों की संख्या लगभग 200,000 हो गयी थी। दय इन्हें नियमित रूप से वेतन प्रदान किया जाता था और अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था। दय भारतीय शासकों के यहाँ नौकरी करने वाले सैनिकों को प्रायः ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं थीं। दय आगे चलकर एक के बाद एक सफलता प्राप्त करने के कारण कंपनी की सेना के सम्मान में वृद्धि होती गयी जिसने नए रंगरूटों को इसकी ओर आकर्षित किया। दय लेकिन सेना के सभी अफसर यूरोपीय थे। दय भारत में कंपनी की सेना के अतिरिक्त ब्रिटिश सैनिकों की भी उपस्थिति थी। हालाँकि कंपनी की सेना में नियुक्त भारतीय सैनिकों ने अत्यधिक सक्षम होने की ख्याति अर्जित की थी, लेकिन वे औपनिवेशिक शक्ति के भाड़े के सैनिक मात्र थे क्योंकि न तो उनमें वह गर्व की भावना थी जो किसी भी राष्ट्रीय सेना के सैनिक को उत्साह प्रदान करती है और न ही पदोन्नति के बहुत अधिक अवसर उन्हें

प्राप्त थे। दय इन्हीं कारकों ने कई बार उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया जिनमें सबसे महान विद्रोह 1857 का विद्रोह था।

पिट्स इंडिया एक्ट में एक प्रावधान विजयों की नीति पर रोक लगाने से भी सम्बंधित था लेकिन उस प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि ब्रिटेन के आर्थिक हितों, जैसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से निकलने वाले तैयार माल के लिए बाजार बनाने और कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज करने, के लिए नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। दय साथ ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नए विजित क्षेत्रों पर जल्द से जल्द कानून-व्यवस्था की स्थापना करना भी आवश्यक था। दय अतः एक नियमित पुलिस बल की व्यवस्था की गयी ताकि कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखा जाये।

कार्नवालिस के समय में इस बल को एक नियमित रूप प्रदान किया गया। दय 1791 ई. में कलकत्ता के लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गयी और जल्दी ही अन्य शहरों में भी कोतवालों की नियुक्ति किया गया। दय जिलों को थानों में विभाजित किया गया और प्रत्येक थाने का प्रभार एक दरोगा को सौंपा गया। दय गावों के वंशानुगत पुलिस कर्मचारियों को चौकीदार बना दिया गया। दय बाद में जिला पुलिस अधीक्षक का पद सृजित किया गया। हालाँकि पुलिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन वह कभी भी लोकप्रिय नहीं बन पाई। बल्कि उसने भ्रष्टाचार और सामान्य जनता को तंग करने की प्रवृत्ति के कारण बदनामी ही अर्जित की। दय अतः यह पूरे देश में सरकारी प्राधिकार का प्रतीक बन गयी। दय इसके निचले दर्जे के सिपाही को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। सेना की ही तरह यहाँ भी उच्च पदों पर केवल यूरोपीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था।

इस अधिनियम को कम्पनी पर अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत में कम्पनी की गिरती साख को बचाने के उद्देश्य से पारित किया गया। Regulating Act की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ई. में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट (Pitt's India Act) पास किया। इस एक्ट ने कंपनी का मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण का अधिकार दे दिया।

- भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गयी। इस परिषद को युद्ध, संधि, राजस्व, सैन्य शक्ति, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गयी।

- कम्पनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार 'ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश' कहा गया।
- गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कम्पनी के संचालकों से स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया।
- इंग्लैंड में 6 आयुक्तों (कमिशनरों) के एक 'नियंत्रक बोर्ड' की स्थापना की गयी, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के नाम से जाना गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्धमंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा चार अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी कौंसिल के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे।
- इस 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' (नियंत्रक मंडल) को कम्पनी के भारत सरकार के नाम आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गयी। प्रांतीय शासन को केन्द्रीय आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया अर्थात् बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्णरूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिये गये।
- कम्पनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया।
- भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवायी के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गयी।
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण हेतु उसके ऊपर बोर्ड और कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था।
- भारत में प्रशासन गवर्नल जनरल तथा उसकी तीन सदस्यों वाली एक परिषद को दे दिया गया।
- गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई साथ ही मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया।

- बंबई तथा मद्रास प्रेसीडेंसी गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई।

## निष्कर्ष

पिट्स इंडिया एक्ट रेग्युलेशन एक्ट का पूरक था। इस कानून ने कंपनी की नीतियों को पूरी तरह इंग्लैंड की सरकार के नियंत्रण में ला दिया। यद्यपि इस एक्ट में भी कुछ त्रुटियाँ थीं तथापि इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सी.एच. फिलिप्स ने लिखा है-1784 ई. का एक्ट एक चतुर और कुटिल प्रस्ताव था जिसने संचालक-समिति की राजनीतिक सत्ता को मंत्रिमंडल के गुप्त और प्रभावशाली नियंत्रण में कर दिया था। इस एक्ट ने उस प्रशासनिक ढाँचे को तैयार किया जो थोड़े-बहुत संशोधनों के साथ 1858 ई. तक चलता रहा। यह एक्ट इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने कंपनी की गतिविधियों और प्रशासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दी। यह पहला अवसर था जब कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र कहा गया।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- कीथ, एस, बी, कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1600-1935, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, 1937, pp. 29
- राव, बी, द फ्रेमिंग ऑफ इन्डियाजकॉन्स्टीट्यूशनभाग 2, दी इन्डीअन इन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 1968, pp.114
- प्रसाद, राजेन्द्र, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 1950, pp. 1
- Parliament, Indian. "Some facts about the Constitutive Assembly". Retrieved 15 June 2011.
- Banerjee, A.C. (1947). The Constitue Assembly of India, Prabhat Chander Rai at Gaurang Press, Calcutta p. 182.
- Austin, Granville (1999). The Indian Constitution, Cornerstone of a Nation. New Delhi: OUP India, 1999. ISBN 0-19-564959-1.

**Corresponding Author**

**Dr. Anil Kumar\***

B.P.S.M.V., Regional Center, Lula Ahir Teaching  
Assistant, History

[dharam.jajoria@gmail.com](mailto:dharam.jajoria@gmail.com)